

SJU - Contact No. +91 93011915303

E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

आधिकार दी न्याय बल

आवश्यकता

इस संघ का गठनसमग्र छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पूर्ण हेतु नं० 93011915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लोगल एडवोकेट श्री तथागत श्रीवास्तव (अभिवाचन, माननीय अन्व-न्यायालय), एवं वर्तमान बॉर्ड के सदस्यों कृ० सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी तुकुन्द एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्वया अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं संरक्षक व्यक्तियों के साथ संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हस्त में लेकर वेतनहार, गरीब, परिवारका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता बढ़ करना है। संघ साबरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार-प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा अधिकारिक नियुक्तियों की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रातिष्ठ एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक प्रत्यार एवं विधिनुसार एवं संवैधानिक के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीडित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से संपर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता देने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासीयों के अधिकार, अनुसूचित जाति-अनुसूचितों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक दृष्टि के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तब पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाना जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से युक्तकत कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समर्थ सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा सर्वोपयोगी शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुर्बानियों को दूर करने के लिए कार्यक्षमता का आवेदन भी करेगा। संघ देश के भूते भित्तों पर खलन विधिवतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

पट्टि
न्यायसाक्षी सभाघार-फ़र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU